हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

24/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 27/12/24 को पेश हो।

27/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 9/1/25 को पेश हो। 8

9/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/1/25 को पेश हो। 8

27/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/3/25 को पेश हो।

20/03/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 09/04/25 को पेश हो।

07/04/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा घासीराम पुत्र श्री रामदेव एवं शान्तिदेवी पत्नी साधुराम पुत्री सुगनाराम का शपथ–पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं. धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावी व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात, पेशशुदा शपथ–पत्र एवं तहसीलदार पाटन से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया

7/4/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Yadav
Date: 2025.05.07 12:50
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी गलत नाम ''सुरजा पुत्र सुगना'' दर्ज हैं जबकि प्रार्थी का नाम ''सुरजा पुत्र सुगना '' की जगह '' महेश कुमार पुत्र सुगनाराम'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सरपंच ग्राम पंचायत रायपुर प्रमाण पत्र व स्कूल टी.सी तथा तहसीलदार पाटन से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 भू.रा.अधि. स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि:–

आदेश

तहसीलदार पाटन तन ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 1737, 1739, 1740, 1741, 1742, 1744, 1745, 1757, 1773, 1776, 1777, 1779, 1782, 1783 कुल किता 14 कुल रकबा 3.67 है० में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम ''सुरजा पुत्र सुगना'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''महेश कुमार पुत्र सुगनाराम'' दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु तहसीलदार पाटन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature N

Digitally signed
Yadav
Date: 2025.05
Reason: SelfA